भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3409
जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 9 दिसंबर, 2019 को दिया जाना है
18 अग्रहायण, 1941 (शक)

आर्थिक अपराधों के मामले

3409. श्री बैन्नी बेहननः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर के पूर्व जनप्रतिनिधियों सहित जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध केन्द्र सरकार के संगठनों द्वारा दर्ज किए गए आर्थिक अपराधों के मामलों का ब्यौरा क्या है और इनकी संख्या कितनी है;

(ख) इन पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों की राजनीतिक संबद्धता का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इन जनप्रतिनिधियों पर दबाव डालने की कोई रिपोर्ट सामने आई है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): केन्द्र सरकार के संगठनों द्वारा दर्ज किए गए आर्थिक अपराधों के मामलों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(i) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), ने विगत पांच वर्षों अर्थात 2014 से 2019 (31.10.2019 तक) के दौरान 18 संसद सदस्यों/पूर्व संसद सदस्यों और विधायकों (एमएलए)/पूर्व विधायकों के विरुद्ध आर्थिक अपराधों के 14 मामले दर्ज किए हैं। इन 18 व्यक्तियों में से 2 वर्तमान संसद सदस्य; 9 पूर्व संसद सदस्य; 5 विधायक और 2 पूर्व विधायक है।

(ii) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत देश भर के पूर्व जनप्रतिनिधियों सहित जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध 82 मामले दर्ज किए हैं।

(iii) केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने देशभर के जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध आर्थिक अपराध के तीन मामले दर्ज किए हैं। उपर्युक्त तीन मामलों में से दो मामले पूर्व संसद सदस्यों के विरुद्ध तथा एक मामला पूर्व विधायक के विरुद्ध दर्ज किया गया है।

(iv) आयकर विभाग श्रेणी-वार ब्यौरा नहीं रखता है। आयकर विभाग जनप्रतिनिधियों और साथ ही पूर्व जनप्रतिनिधियों सहित पूरे देश में फैले विभिन्न क्षेत्रों में तरह-तरह की कारोबारी गतिविधियां कर रहे विभिन्न कर निर्धारितियों के विरुद्ध आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर अपवंचन के मामलों में उचित कार्रवाई करता है। प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत ऐसी कार्रवाई में जांच और जब्ती, सर्वेक्षण, पूछताछ, आय का मूल्यांकन, करों की उगाही, दण्ड, आदि और जहां लागू हो दंड न्यायालय में अभियोजन शिकायत दर्ज करना शामिल हैं।

वर्तमान में इन मामलों में अलग-अलग स्तरों पर जांच चल रही है। इस समय इन मामलों का ब्यौरा प्रकट करना जनहित में नहीं होगा क्योंकि इससे चल रही जांच में बाधा हो सकती है। इसके अलावा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 138 के तहत प्रावधानों के अलावा विशेष निर्धारिती के संबंध में सूचना का प्रकटीकरण निषिद्ध है।

बिना किसी भय या पक्षपात के योग्यता के आधार पर जांच की जाती है।

****